

अनुमति की शर्तें ।

- (1) जहाँ शहर/पुलख के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं होती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (आर्थिक, राजकीय मामिलयत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा ये ही निगम किसी अतिथि के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) शहर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नगर के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

शकल छिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 832 दिनांक 29/12/2020

श्री इंदराम श्री रेमाराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3801/- मात्र

जारीये रसीद संख्या 2662/6874, 6875

दिनांक 29/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 25 डी जवाहर कोलोनी
(कच्ची बस्ती)

904 30/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

मेहरा

951599844

जी + 1

आवासीय